



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2013/भाद्र 18, 1935

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2013/BHADRA 18, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 614(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में ज्येष्ठ पुलिस पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (ज्येष्ठ पुलिस पद) भर्ती नियम, 2013 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें, वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति :—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	*01 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसूचित	80,000 रु. (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए गए हैं। टिप्पण 1 : —भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। टिप्पण 2 : —भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I/21023/29/2007-आईपीएस-III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 3 :—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष निदेशक	*02 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	एचएजी + 75,500 रु.- 3 प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि - 80,000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए गए हैं। टिप्पण 1 :—भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। टिप्पण 2 :—भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I/21023/29/2007-आईपीएस-III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी। टिप्पण 3 :—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर निदेशक	*02 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	67,000 रु. - 3 प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि - 79,000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए गए हैं। टिप्पण 1 :—भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। टिप्पण 2 :—भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I/21023/29/2007-आईपीएस-III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी। टिप्पण 3 :—प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त निदेशक	*18 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 10,000 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। अस्सी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : पुलिस उप-महानिरीक्षक या उप-निदेशक जिन्होंने 37,400 – 67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8900 रु. के वेतन बैंड-4 में उस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च दर श्रेणी में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : 1. भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए गए हैं। 2.(क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी; या (ख) केंद्रीय सरकार संगठित समूह “क” सेवाओं के अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य 3. निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 1 :—

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या किसी भी समय पर, भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर, अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पदों पर आने वाले अधिकारियों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और केंद्रीय सरकार समूह “क” सेवा के अधिकारी, यथास्थिति अपने-अपने लिए लागू नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे।

टिप्पण 3 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21023/29/2007-आईपीएस III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

(पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

टिप्पण 4 :—

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर वाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारण्यता पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 5 :—

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस उपमहानिरीक्षक या उप-निदेशक	*39 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8,900 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पंद्रह प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। पचासी प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक जिन्होंने 37,400 – 67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. के वेतन बैंड-4 में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : 1. भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें केंद्र में पुलिस उपमहानिरीक्षक के स्तर के पदों को धारण करने के लिए पैनल में रखा गया है, या	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. निदेशक या विशेष निदेशक या अपर निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो —सदस्य 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव(सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी; या
(ख) केंद्रीय सरकार संगठित समूह “क” सेवाओं के अधिकारी तथा निम्नलिखित सेवाओं के अधिकारी भी हैं, अर्थात् :—

- (i) भारतीय आर्थिक सेवा;
- (ii) प्रवर्तन निदेशालय;
- (iii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय;
- (iv) स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो;
- (v) भारतीय राजस्व सेवा;
- (vi) भारतीय सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा;
- (vii) भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा,
- (I) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (II) जिन्होंने 37,400 से 67,000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. के वेतन बैंड-4 या समतुल्य पदों पर चार वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :—

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या किसी भी समय, भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर, अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पदों पर आने वाले अधिकारियों की संख्या 10% से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और केंद्रीय सरकार समूह “क” सेवा के अधिकारी, यथास्थिति अपने-अपने लिए लागू नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे।

टिप्पण 3 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21023/29/2007-आईपीएस III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

टिप्पण 4 :—

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या

वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। (पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक	*10 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37,400-67,000 रु.+ ग्रेड वेतन 8,700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसा पुलिस अधीक्षक जिसने वेतन बैंड-3, 15,600 – 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. के श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा पुलिस अधीक्षक जिसने तीन वर्ष की नियमित सेवा और अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक की श्रेणियों में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. निदेशक या विशेष निदेशक या अपर निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — सदस्य 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव(सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च दर श्रेणी में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस अधीक्षक	*101 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : अपर पुलिस अधीक्षक जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15,600 – 39,100 रु. ग्रेड वेतन 6600 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे अपर पुलिस अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की है और अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक की श्रेणियों में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. निदेशक या विशेष निदेशक या अपर निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — सदस्य 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च दर श्रेणी में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

1. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी; या
2. (क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी; या
- (ख) केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारी; या
- (ग) सरकार संगठित समूह “क” सेवाओं के अधिकारी, तथा निम्नलिखित सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, अर्थात् :—
- (i) भारतीय आर्थिक सेवा;
- (ii) प्रवर्तन निदेशालय;
- (iii) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय;
- (iv) स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो;
- (v) भारतीय राजस्व सेवा;
- (vi) भारतीय सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा;
- (vii) भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा;
- (viii) रेल लेखा सेवा;
- (ix) भारतीय दूरसंचार सेवा,
- (I) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (II) जिन्होंने 15,600 – 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतन बैंड-3 या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 :—

प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों की संख्या किसी भी समय, भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर, अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पदों पर आने वाले अधिकारियों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 :—

किसी अन्य सेवाओं या सुविज्ञता वाले किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए यथा उपबंधित क्षेत्र को उपरोक्त खंड (i) और खंड (ii) और टिप्पण 1 के अध्वधीन रहते हुए शिथिल किया जा सकता है, यदि उन सेवाओं या सुविज्ञता क्षेत्र से उपयुक्त अधिकारियों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपेक्षा या प्राप्य है।

टिप्पण 3 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित गृह मंत्रालय के तारीख 30 मार्च, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. I-21023/29/2007-आईपीएस III में अंतर्विष्ट प्रतिनियुक्ति संबंधी अनुदेशों या आदेशों के निबंधनों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

टिप्पण 4 :—

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और केन्द्रीय सरकार समूह “क” सेवा के अधिकारी, यथास्थिति अपने-अपने लिए लागू नियमानुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे।

टिप्पण 5 :—

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 6 :—

पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 7 :—

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर पुलिस अधीक्षक	*91 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे पुलिस उपाधीक्षक जिन्होंने 15,600 – 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. वेतन बैंड-3 में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हत सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— - संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — अध्यक्ष - पुलिस उपमहानिरीक्षक या उप-निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — सदस्य - निदेशक या उप-सचिव(सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस उपाधीक्षक	*265 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15,600 - 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(क) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ख) दस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा या आमेलन द्वारा (ग) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे निरीक्षक जिन्होंने 9300 – 34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतन बैंड-2 में ऐसे निरीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, यदि कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्च दर श्रेणी में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन	समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग — सदस्य 3. संयुक्त निदेशक तथा विशेष पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — सदस्य 4. पुलिस उपमहानिरीक्षक या उप-निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(अ) केंद्रीय पुलिस संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में 9300 - 34,800 रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतन बैंड-2 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि; (ii) जांच-पड़ताल या आसूचना अन्वेषण कार्य में तीन वर्ष का अनुभव या (ब) राज्य पुलिस संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में 9300 - 34,800रु.+ ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतन बैंड-2 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि; (ii) आपराधिक मामलों के अन्वेषण में तीन वर्ष का अनुभव या (स) केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क या आयकर, या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण किए हुए हैं ; या		
--	--	--

(ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में 9300 - 34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. के वेतन बैंड-2 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि;

(ii) सतर्कता या अन्वेषण या आसूचना कार्य में पांच वर्ष का अनुभव

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा:

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हक शर्तें।

(I). पात्रता

ऐसे उप-निरीक्षक (वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.) या निरीक्षक (वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.), जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन के वर्ष की एक जनवरी को, नियमित सेवा (जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी है) चार वर्ष पूरे कर लिए हैं जिनका आद्योपान्त रिकार्ड स्वच्छ है।

(II) आयु-सीमा

उम्मीदवार की आयु, रिक्तियों के विज्ञापन वर्ष की एक जनवरी को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु-सीमा अधिकतम पांच वर्ष के लिए शिथिलनीय होगी।

(III). शारीरिक मानक

(क) ऊंचाई : पुरुष के लिए - 165 सें.मी.

महिला के लिए - 150 सें.मी.

शिथिलनीय :

पर्वतीय क्षेत्रों और जनजातियों के लिए - 5 सें.मी.

(ख) छाती :

76 सें.मी. फुलाकर

(महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है)

(ग) दृष्टि क्षमता :

दृष्टि (चश्मे के साथ या उसके बिना)

दूरदृष्टि : 6/6 एक आंख में; और 6/9 दूसरी आंख में निकट दृष्टि : 0.6 एक आंख में; और 0.8 दूसरी आंख में (IV) शैक्षिक अर्हता : उम्मीदवार को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। टिप्पण : परीक्षा की योजना, आदि वह होगी, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंधित की जाए। टिप्पण :— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। (पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		
---	--	--

[फा.सं. 213/3/2010-एवीडी-II]

पी. के. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2013

G.S.R.614(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Senior Police Posts) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Senior Police Posts in the Central Bureau of Investigation namely:—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Senior Police Post) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application .— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and pay band or scale of pay .— The number of the posts, their classification and the pay band or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification .— No person, -

(a) who has entered into or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classifications	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director	*01 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group `A`, Gazetted, Non- Ministerial.	Rs. 80,000 (Fixed)	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation.	Deputation: Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Director General of Police under the Government of India. Note 1 :—Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Note 2:—Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. Note 3 :—For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special Director	*02 (2013) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	HAG+ Rs.75500 - @3% increment - Rs.80,000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation	Deputation: Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Director General of Police and Additional Director General of Police under the Government of India. Note 1:- Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Note 2:- Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. Note 3 :- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Additional Director	*02 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 67000-(@3%) increment – Rs.79000	Not Applicable	Not applicable	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation	Deputation: Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Director General of Police and Additional Director General of Police under the Government of India. Note 1 :— Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Note 2 :— Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. Note 3 :— For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been	Not Applicable	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

			merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Joint Director	*18 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, Rs.37400-67000+ Grade Pay Rs.10,000	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable	Twenty per cent, by promotion failing which by deputation. Eighty per cent, by deputation.	Promotion: Deputy Inspector General of Police or Deputy Director in PB-4 of Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs.8900 with four years' regular service in the grade. Note 1 :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation: 1. Officers of the Indian Police Service who have been approved for appointment as Inspector General of Police under the Government of India. 2 (a) Officers of All India Services; or (b) Officers of Central Government organised Group 'A' Services, holding analogous posts on regular basis; Note 1 :- The number of officers on deputation from services other than Indian Police Service shall not exceed 10% of the deputation posts at any time. Note 2 :- Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission ... Chairman. 2. Secretary, Department of Personnel and Training ... Member 3. Director, Central Bureau of Investigation ... Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

			Similarly, officers of all India Services and officers of Central Government Group 'A' organised services shall also draw their pay and allowances respectively as per pay rules applicable to them. Note 3 :- Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). Note 4 :- The period of deputation including period of deputation in another ex cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 5 :- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Inspector General of Police or Deputy Director	*39 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, Rs.37400-67000+Grade Pay Rs.8900	Selection.	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Fifteen per cent, by promotion failing	Promotion: Senior Superintendent of Police in PB-4, Rs.37400-67000 plus grade	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-	Consultation with the Union Public

		which by deputation. Eighty five per cent, by deputation.	pay of Rs.8700/- with two years' regular service in the grade. Note 1 :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation: 1 Officers of Indian Police Service empanelled for holding Deputy Inspector General of Police level posts at the centre, or 2 (a) Officers of All India Services; or (b) Officers of Central Government organised Group 'A' Services, and also the officers of the following services namely :- (i) Indian Economic Services; (ii) Directorate of Enforcement; (iii) Serious Fraud Investigation Office; (iv) Narcotics Control Bureau; (v) Indian Revenue Service; (vi) Indian Customs and Central Excise Services;	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission Chairman. 2. Director or Special Director or Additional Director, Central Bureau of Investigation Member 3. Addl. Secretary or Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training Member	Service Commission not necessary.
--	--	---	---	--	--

			(vii) Indian Audit and Accounts Services, (I) holding analogous posts on regular basis; or (II) with four years' regular service in posts in the Pay Band-4 of Rs.37400-67000+ Grade Pay Rs.8700 or equivalent. Note 1:- The number of officers on deputation from services other than Indian Police Service shall not exceed 10% of the deputation posts at any time. Note 2:- Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Similarly, officers of All India Services and officers of Central Government Group 'A' organized services shall also draw their pay and allowances respectively as per pay rules applicable to them. Note 3:- Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. Note 4:- For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for		
--	--	--	---	--	--

			which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Superintendent of Police	*10 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4, Rs.37400-67000+ Grade Pay Rs.8700	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Superintendent of Police in PB-3, Rs 15600-39100 and Grade Pay Rs 7600 with five years' regular service in the grade, failing which by Superintendent of Police with three years regular service and having ten years combined service in the grades of Additional Superintendent of Police and Superintendent of Police. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- - Chairman or Member, Union Public Service CommissionChairman - Director or Special Director or Additional Director, Central Bureau of InvestigationMember - Additional Secretary or Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

			Note 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	TrainingMember	
--	--	--	--	-------------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Superintendent of Police	*101 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs.15,600-39100+ Grade Pay Rs.7600	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Fifty per cent, by promotion. Fifty per cent, by deputation.	Promotion: Additional Superintendent of Police in PB-3 of Rs 15600-39100 and Grade Pay Rs 6600 with five years of regular service in the grade, failing which by Additional Superintendent of Police with three years regular service in the grade and having ten years' combined service in the grades of Additional Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission ... Chairman. 2. Director or Special Director or Additional Director, Central Bureau of Investigation ...Member 3. Addl. Secretary or Joint Secretary, (Vigilance) Department of Personnel and Training ...Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

			Deputation: 1. Officers of Indian Police Service; or 2 (a) Officers of All India Services; or (b) Officers of Central Police Organisations; or (c) Officers of Central Government organised Group 'A' Services, and also the officers of the following services namely :- (i) Indian Economic Services; (ii) Directorate of Enforcement; (iii) Serious Fraud Investigation Office; (iv) Narcotics Control Bureau; (v) Indian Revenue Service; (vi) Indian Customs and Central Excise Services; (vii) Indian Audit and Account Services; (viii) Railway Account Services; (ix) Indian Telecom Services, (I) holding analogous posts on regular basis; or (II) with five years' regular service in posts in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39100+Grade Pay Rs.6600/- or equivalent. Note 1:- Officers coming on deputation from services other than the Indian Police Service shall not exceed 20% of the deputation posts at any time. Note 2:- Field for deputation as provided above may be relaxed to take an officer on deputation from any other services or expertise, if suitable officers from that area of expertise or services are required or available by the Central Bureau of Investigation subject to conditions at (I), (II) and Note 1 above. Note 3:- Deputation of Indian Police Service officers shall be regulated in terms of the instructions or orders relating to the deputation as contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No.I-21023/29/2007-IPS III, dated the 30th March, 2010 as amended from time to time. Note 4:- Indian Police Service officers shall draw pay and allowances as per the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Similarly, officers of all India services and officers of Central Government Group 'A' organized services shall also draw their pay and allowances as per pay rules applicable to them.		
--	--	--	---	--	--

			Note 5:- For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 6:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 7:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Additional Superintendent of Police	*91 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs.15,600-39100+Grade Pay Rs.6600/-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Promotion: Deputy Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation in the Pay Band -3 of Rs.15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 5400/- with five years' regular service in the grade. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of : 1. Joint Director, Central Bureau of Investigation Chairman. 2. Deputy inspector General of Police or	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

			considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	Deputy Director (Administration), Central Bureau of Investigation Member 3. Director or Deputy Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training Member	
--	--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Superintendent of Police	*265 (2013) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs.15,600-39100+Grade Pay Rs 5400/-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	(a) 80% by Promotion. (b) 10% by deputation (including short-term contract) or absorption. (c) 10% by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).	Promotion: Inspector in Pay Band-2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with six years' regular service in the grade. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 :- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission Chairman. 2. Additional Secretary or Joint Secretary (Vigilance), Department of Personnel and Training Member 3. Joint Director and Special Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation Member 4. Deputy Inspector General of Police or	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (Including Short Term Contract) or Absorption: A. Officers under the Central Police Organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay band-2 of Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent, in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience; (i) Bachelor's degree from a recognised university; (ii) Three years' experience in enquiry or intelligence investigation work. Or B. Officers under the State Police Organisations; (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band -2 of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised university; (ii) Three years' experience in investigation of criminal cases. or C. Officers of Central Excise and Customs or Income Tax, or persons working under Central Government or State Government or Public Sector Undertakings; (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular	Deputy Director (Administration), Central Bureau of Investigation ...Member	
--	--	--	--	--	--

			basis in posts in the Pay Band -2 of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree from a recognised university; (ii) Five years' experience in vigilance or investigation or intelligence work. LDCE: Eligibility conditions for appearing in the Limited Departmental Competitive Examination. (I) Eligibility: Sub-Inspector (PB-2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200) or Inspector (PB-2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4600) who have completed four years of regular service (including the period of training) as on 1st January of the year in which the vacancies are advertised and have clean service record throughout. (II) Age Limit : The candidates should not have attained the age of 40 years on the 1st of January of the year in which vacancies are advertised . However upper age limit shall be relaxed to a maximum of five years for candidates belonging to the SC or ST categories. (III) Physical Standards : (a) Height : For men - 165 cms. For women - 150 cms. Relaxable for: Hill men and Tribes – 5 cms. (b) Chest : 76 cms. with expansion (There shall be no such requirement in case of female candidates) (c) Vision : Eye sight (with or without glasses) Distant Vision : 6/6 in one eye; and :6/9 in the other eye Near Vision : 0.6 in one eye; and 0.8 in the other eye (IV) Educational Qualification : The candidate should be a graduate from a recognised University. Note: The plan of the examination, etc., shall be such as may be provided by the		
--	--	--	---	--	--

			Central Government from time to time. Note :— For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		
--	--	--	--	--	--

[F. No. 213/3/2010-AVD.II]

P. K. DAS, Jt. Secy.